Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में औषधि निरीक्षक (ड्रग इन्सपेक्टर) 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 मार्च, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती सिन्धु कुमारी औषधि निरीक्षक (ड्रग इन्सपेक्टर) औषधि नियन्त्रण संगठन, सेठी कॉलोनी, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके मेडीकल स्टोर के किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं निकालने की एवज में श्रीमती सिन्धु कुमारी औषधि निरीक्षक (ड्रग इन्सपेक्टर) औषधि नियन्त्रण संगठन, सेठी कॉलोनी, जयपुर द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती प्रिया व्यास** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती सिन्धु कुमारी औषधि निरीक्षक (ड्रग इन्सपेक्टर) औषधि नियन्त्रण संगठन, सेठी कॉलोनी, जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी औषधि निरीक्षक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से रिश्वत के रूप में **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।